

सप्तदश

बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि <u>08 फाल्गुन, 1945 (श०)</u> 27 फरवरी, 2024 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 06

(1)	शिक्षा विभाग		-	03
.(2)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग.	-	-	01
(3)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	-	1	01
(4)	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग		-	01
	कुल योग —			06

प्रोत्साहन राशि का प्रावधान करना

25. श्री अजीत रामां (क्षेत्र संख्या-156 मागलपुर) - क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री सिबिल सेवा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अत्यंत पिछड़े वर्ग के अध्यर्थियों को देश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं सामान्य वर्ग के अध्यर्थियों के लिये भी देश को सभी परीक्षाओं के लिये प्रोत्साहन राशि का प्रावधान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नशा मुक्त करने हेतु कार्रवाई

26. <u>श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)</u> --स्थानीय समाचार-पत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''झहर तो शहर, अब तो गाँव की गलियाँ भी सूखे नशे की चपेट में'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सभी शहरों सहित गाँवों में भी बाठन सुगर, स्मैक, हिरोइन इत्यादि नशीले पदार्थों की आपूर्ति तस्करों द्वारा आसानी से उपलब्ध करायी जा रही है, जिसके सेवन से युवाओं के साथ-साथ उनका परिवार भी तबाह हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सूबे का प्रशासन नशीले पदार्थों के आपूर्तिकर्ता तक पहुँचने में असफल साबित हो रहा है जिससे तस्करों का मनोबल बढता जा रहा है ;

(3) यदि उपयुंक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार करने के साथ-साथ राज्य को नशा मुक्त करने हेतु कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में दिनांक 1 अग्नील, 2016 से पूर्ण महा निषेध लागू है ! महा निषेध नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु उत्पाद विभाग द्वारा अवैध सूत्वा नशा के विरुद्ध लगातार छापानारी अभियान चलाया जा रहा है । राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर चौर्य व्यापारियों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने हेतु विभाग द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं :---

 चेक पोस्ट--पूर्व में 05 (पाँच) समेकित जाँव चौकी स्थापित की गयी थी, जिसे बकुकर 84 (चौरासी) कर ती गयी है, जहाँ 24 x 7 जाँच को जा रही है तथा सीमावर्ती क्षेत्र को चेक पोस्टों से गुजरने वाले वाहनों की जाँच हेतु Hand held Scanner उपलब्ध कराया गया है ।

 नवगठित उत्पाद थाना--पूर्व में कुल 36 (छत्तीस) थाने खोले गये थे । आवश्यकता को देखते हुये पुन: 44 (चौवालीस) अतिरिक्त थानें खोले गये हैं । इस प्रकार मद्य नियेध नीति का सफल कार्यान्वयन के लिए कुल 80 (अस्सी) उत्पाद थाने कार्यरत हैं ।

 मानव संसाधन---पूर्व में विभाग में उत्पाद पदाधिकारियों/कर्मियों की संख्या 2,167 (दो हजार एक सौ सड्सठ) थी, मद्य निषेध नीति का सफल कार्यान्वयन के लिये विभिन्न स्तरों पर 2,250 (दो हजार दो सौ पचास) अतिरिक्त पदों का सुजन किया गया है । वर्तमान में कुल स्वीकृत बलों की संख्या 4,417 (चार हजार चार सौ सत्रह) हो गई है । इसके अतिरिक्त विभाग में 2,538 (दो हजार पाँच सौ अड़तीस) गृहरक्षक, 443 (चार सौ तेतालीस) सैफ बल, एम0टी0एम0 392 (तीन सौ बानवे) एवं ढाटा इन्ट्री ऑपरेटर 142 (एक सौ बयालीस) भी शामिल है । उपलब्धि—–दिनांक 1 अप्रील, 2016 से दिनांक 8 फरवरी, 2024 तक की अवधि में सूखा नशा के रोक–थाम हेतु उत्पाद छापामारी का फलाफल प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :--

कुल छापामारी - 397
कुल गिरफ्तारी - 440
कुल जब्त गांजा - 15232.6 किलो ग्राम
कुल जब्त चरस - 3.5 किलो ग्राम
कुल जब्त अफीम - 57.2 किलो ग्राम
भाग - 500 ग्राम
कुल जब्त कोडीनयुक्त कफ सिरप - 43.00 लीटर
कफ सिरप - 22 लीटर
फैन्साडिल कप सिरप - 19490.000 लीटर
पर्युक्त के अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा भी कार्रवाई की जाती है।
2) उपर्युका कॉंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।
3) उपर्युक्त कॉडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अनुकम्पा पर नियुक्ति कराना

27. <u>श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)</u>--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 7/मु0/08/2020-888, दिनांक 27 अगस्त, 2021 की कॉडिका 5(v) के द्वारा 1 जुलाई, 2006 एवं इस तिथि के पश्चात् विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की मृत्यु के बाद यथा विहित पात्रता वाले योग्य आश्रितों को पंचायत प्रारोभक/नगर प्रारोभक शिक्षकों की मृत्यु के बाद यथा विहित पात्रता वाले योग्य आश्रितों को पंचायत प्रारोभक/नगर प्रारोभक शिक्षकों की मूल कोटि में नियुक्ति एवं विभागीय संकल्प संख्या 1128, दिनांक 21 अगस्त, 2020 के तहत 1 जुलाई, 2006 के पश्चात् प्रधानाध्यापक/शिक्षक/शिक्षकतर कार्मियों की मृत्यु होने के बाद उनके आश्रितों को विद्यालय सहायक/परिचारी में नियुक्ति का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुकम्पा के लिये वर्णित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताधारी दरभंगा के 28 सहित राज्य के 1100 अभ्यर्थियों की अनुकम्पा पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति तथा दरभंगा के 150 सहित पूरे राज्य में अनुकम्पा पर विद्यालय सहायक/परिचारी के 6 (छ:) हजार मामले नियुक्ति हेतु लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (2) में उल्लेखित मामलों में अनुकम्पा पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कवतक, नहीं, तो क्यों ?

वायु प्रदूषण कम करना

28. <u>श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)</u>--स्थानीय दैनिक में दिनांक 8 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''बिहार के छ: शहरों की हवा बहुत खराब, दिल्ली की श्रेणी में पटना'' को घ्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, यह बतलाने की कुपा करेंगे कि--

 (1) क्या यह बात सही है कि राज्य के छपरा, राजगीर, पटना सहित अन्य शहरों में हवा बहुत खराब है ;

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अनुसार पटना का प्रदूषण सूचकांक 329 और दिल्ली का प्रदूषण सूचकांक 394 है जिसमें गाँधी मैदान, राजवंशीनगर, पटना सिटी और दानापुर का क्षेत्र अत्यधिक प्रदूषित है ;

(3) यदि उपयुंक्त खंडों के उत्तर स्वोकारात्मक हैं, तो सरकार पटना जिला सहित राज्य के अन्य जिलों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिये कौन-सा उपाय कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रमारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बिहार के शहरों की वायु गुणवत्ता के प्रति सजग है। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा राज्य के 23 जिलों में कुल 35 अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों के औंकड़ों के आधार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एयर क्वालिटी इंटेक्स एं)क्यू0आई0) की गणना की जाती है।

राज्य में विभिन्न जगहों पर स्थापित अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र से प्राप्त औंकहों के अनुसार नवम्बर, 2023 माह में बहुत खराब श्रेणी (AQI: 301-400) में पटना (14 दिन), आरा (14 दिन), बेगूसराय (13 दिन), छपरा (17 दिन), कटिहार (10 दिन), पूर्णियाँ (13 दिन), राजगीर (11 दिन), पाई गई तथा गंभीर श्रेणी (AQI: 401 से ज्यादा) में बेगूसराय (3 दिन), पूर्णियाँ (1 दिन) तथा सीवान (1 दिन) पाई गई है। इसके अलावा राज्य के सभी शहरों, जहाँ अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र स्थापित है, में जन्य दिनों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब अथवा उससे बेहतर स्थिति पाई गई है। बिदित हो कि वायु की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। वायु प्रदूषण की स्थिति स्थान विशेष की प्राकृतिक/भौगोलिक दशा एवं मौसम पर निर्भर करती है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है । बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा माह नवम्बर, 2023 के आंरभ से ही बायु प्रदूषणकारों स्थलों (Hotspots) का संघन सर्वेक्षण करवाया गया । सर्वेक्षण में भवन निर्माण, सड़क निर्माण, सड़कों की सफाई, बैचिंग प्लांट, डॉट मिक्स प्लांट इत्यादि द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा था । इन लोगों पर नियमाकुल कार्रवाई कर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया जिससे AQI स्तर में सुधार पाया गया ।

(3) राज्य सरकार द्वारा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु किये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है:-

 राज्य में कुल 67 स्थानों पर सी0एन0जी0 (कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस) आउटलेट की स्थापना की गयी है, जिसमें कुल 22 सी0एन0जी0 आउटलेट पटना में स्थापित है। राज्य में इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं गेल इंडिया (GAIL, India) आदि संस्थान द्वारा पाईण्ड नैच्यूरल गैस (Piped Natural Gas) नेटवर्क बिछाने का कार्य किया जा रहा है जो प्रगति पर है।

2. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा अधिसूचना निर्गत कर वैसे औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पी0एन0जी0/सी0एन0जी0 का पाइप लाइन पहुँच गया हो, वैसे औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थित औद्योगिक इकाइयाँ जो जिवाश्म ईधन का उपयोग करते हैं, को स्वच्छतर ईधन पी0एन0जी0/सी0एन0जी0 में परिवर्तित करने का निदेश दिया गया है ।

3. वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की रोक-थाम हेतु 15 वर्षों से ज्यादा पुरानी सरकारी डीजल चालित वाहनों का परिचालन परिवहन विभाग द्वारा पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है । पटना एवं इसके आस-पास के नगर निकाय क्षेत्रों यथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ में 15 वर्षों से ज्यादा पुरानी व्यावसायिक डीजल चालित वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है । इन क्षेत्रों में डीजल चालित तिपहिया वाहनों का परिचालन भी मार्च, 2022 के पश्चात् प्रतिबंधित कर दिया गया है ।

4. नये ईंट-भट्ठा को स्वच्छतर तकनीक के बगैर स्थापनार्थ सहमति (CTE/NOC) प्रदान नहीं किया जा रहा है ।

5. नगर निकायों द्वारा क्लीन एयर एक्शन प्लान के विभिन्न कार्य-बिन्दु (Actionable Point) के तहत कार्य कर वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा रहा है । 6. कृषि अपशिष्टों को जलाने पर हो रहे प्रदूषण की रोक-थाम एवं नियंत्रण के लिए कृषि विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है । कृषि विभाग द्वारा उन किसानों को, जो कृषि अपशिष्ट जलाकर प्रदूषण फैलाते हैं, वैसे कृषक को चिहित कर कृषि विभाग द्वारा दिये जाने वाले कृषि अनुदान से तीन वर्षों के लिए वॉचित किया जाता है ।

7. वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोक-धाम हेतु परिवहन विभाग द्वारा Pollution Under Control प्रमाण-पत्र जारी करने वाले केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 1412 किया गया है ।

अवन निर्माण एवं अन्य निर्माण स्थलों को ढक कर कार्य करने का निदेश दिया गया है ।
खुले में कचरा जलाना प्रतिबंधित किया गया है ।

10. परिवहन विभाग द्वारा 25 इलेक्ट्रीक एवं 70 सी0एन0जी0 बसों का परिचालन किया जा रहा

है। इस व्यवस्था को परिवहन विभाग द्वारा खुद किया जा रहा है ।

11. इलेक्ट्रीक वाहनों को प्रोत्साहित किया जाना ।

12. भवन निर्माण, सङ्क निर्माण, सङ्कों को सफाई, बैचिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट इत्यादि द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्ययस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना।

युनियादी सुविधायें उपलब्ध कराना

29. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 5 जनवरी, 2024 के अंक में प्रकाशित शीर्षक '' वि0वि0-कॉलेजों के खातों में पड़े रहे 2 हजार करोड़, टूटी बेंच डेस्क पर पढ़ते रहे विद्यार्थी'' को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतालाने की कृपा करेंगे कि--

 (1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में छात्रों को बुनियादी सुविधा का अभाव है;

(2) क्या यह बात सही है कि मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्करपुर सहित राज्य के विश्विविद्यालय एवं कॉलेजों के खातों में 2 हजार करोड़ की राशि उपलब्ध रहने के बावजूद छात्रों को दुनियादी सुविधा उपलब्ध करने हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं की गई ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खातों में पड़े रुपये का उपयोग कर वि0वि0 एवं कॉलेजों में बुनियादी जरूरतों को पुरा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वोकेशनल कोसे के संबंध में

30. <u>श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)</u>—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने को कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स का संकाय नहीं है :

(2) क्या यह बात सही है कि नियमित प्राच्यापक नहीं रहने के कारण बोकेशनल कोर्स पढ़ने वाले बच्चे विश्यविद्यालयों से वोकेशनल संकाय में Ph.D. (शोध) नहीं कर पा रहे हैं ;

(3) यदि उपयुंक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो वोकेशनल कोर्स के इस दौर में राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स का संकाय नहीं रहने का क्या औषित्य है ?

पटना : दिनांक 27 फरवरी, 2024 (ई0) । राज कुमार, सचिव, बिहार विधान सभा।

बिंग्स0मु0, 97(एल०ए0), 2023-24-डींग्टी0पी0-550